प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02.04.2021 जनपद देवरिया

साईबर सेल द्वारा 51 गुमशुदा मोबाईल लगभग 07 लाख कीमत की बरामद कर सम्बन्धित को सुपुर्द किया गया, साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार 04 व्यक्तियों का 3,04,200/–रूपये वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद–देवरिया डॉ श्रीपति मिश्र द्वारा गुमशुदा मोबाईल के संबन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु साइबर सेल जनपद–देवरिया को प्रार्थना पत्र के निस्तारण एवं गुमशुदा मोबाईल फोन की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल जनपद–देवरिया द्वारा गुमशुदा मोबाईल फोन के संबन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण एवं मोबाईल की बरामदगी हेतु नियमानुसार लगातार प्रयास किया जाता रहा, जिसके परिणाम **स्वरूप 51 आवेदकगण** के गुमशुदा **51 मोबाईल फोन जिनकी कीमत लगभग 07 लाख रूपये** है, जिन्हे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बरामद किया गया। बरामदशुदा मोबाईल फोन आज दिनांक–02.04.2021 को संबन्धित आवेदकगणों को उन्हें सुपुर्द किया गया।

<u>बरामद मोबाईल फोन का विवरण</u> :–

- ➡एम0आई0 13
- ➡सैमसंग 04
- ➡वीवो 10
- ➡टेकनो 03
- ➡रीयल–मी 14
- ➡ओप्पो 04
- ➡अन्य कम्पनी 03

2– जनपद में साइबर अपराध से पीड़ित दो व्यक्तियों ने अपनी फरियाद जब पुलिस अधीक्षक देवरिया डॉ0 श्रीपति मिश्र को जब सौपा तो उन्होंने प्रार्थना पत्रों पर संज्ञान लेते हुए साइबर सेल को निर्देशित किया था कि प्राथमिकता के आधार पर सर्व प्रथम धनराशि को यथा सम्भव उनके खाते में वापस करा दिया जाय तथा उक्त अपराधियों पर भी सख्त कार्यवाही की जाय।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में साइबर सेल ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 04 व्यक्तियों के <u>3,04,200/–रूपये (तीन लाख चार हजार दो सौ रूपये मात्र)</u> खाते से अवैध तरीके से निकाले गये धनराशि को उन्हीं के खाते में वापस कराने में सफलता हासिल की, जिनका विवरण निम्नवत है:–

1–श्री संदीप राजभर पुत्र पंचदेव राजभर, निवासी रामकोला, थाना बनकटा जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी का **25,000/–रूपये मात्र** वापस कराया गया।

2–श्रीमती सरिता सिंह पत्नी डॉ परमानन्द सिंह, निवासी बैरौना, थाना खुखुन्दू, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी का **47,000/–रूपये मात्र** वापस कराया गया।

3–श्री रामशंकर शुक्ल, निवासी सरांव खुर्द, थाना एकौना, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी का **2,20,000/–रूपये मात्र** वापस कराया गया।

4–श्री शम्भूनाथ श्रीवास्तव पुत्र रामानन्द श्रीवास्तव, निवासी राघवनगर, थाना कोतवाली जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी का **12,200/–रूपये मात्र** वापस कराया गया।

साइबर क्राइम सेल, टीम–

1–नि0 अनिल कुमार पाण्डेय,
2–उ0नि0 मुकेश कुमार मिश्र
3–कां0 प्रद्युम्न कुमार जायसवाल,
4–कां0 दीपक सोनी,
5–कां0 राजेश तिवारी
6–म0कां0 पूर्णिमा चौधरी,
7–म0कां0 प्रिया।

नोटः–पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा साइबर सेल देवरिया टीम को 5000रू0 पुरस्कार देने की घोषणा किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02.04.2021 जनपद देवरिया।

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा कुख्यात लूटेरे के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही, 19 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क।

आज दिनांक 02.04.2021 को जनपद देवरिया के कुख्यात अभियुक्त हरीवंश यादव पुत्र गोरख यादव निवासी–वार्ड नम्बर 03 भठवा धरमपुर थाना–सलेमपुर जनपद–देवरिया के विरूद्ध गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा बड़ी कार्यवाही की गयी। इस अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अभियुक्त की कुल 19 लाख 09 हजार रूपये की संपत्ति कुर्क कर ली गयी है तथा इस संपत्ति में भवन का कस्टोडियन तहसीलदार सलेमपुर जनपद देवरिया एवं स्कूटी वाहन का कस्टोडियन प्रभारी निरीक्षक सलेमपुर के अधीन सुपुर्द कर दिया गया है। इस संपत्ति को कब्जा करते समय दुग्गी पिटवा कर उद्धघोषणा करा कर सार्वजनिक रूप से जनता को इस कार्यवाही से अवगत कराया गया। इस कुख्यात अभियुक्त के विरूद्ध लूट, डकैती, मादक पदार्थ, अवैध शस्त्र की तस्करी जैसे गम्भीर अपराध के कुल 45 अभियोग पंजीकृत है।

कुर्क संपत्ति का संक्षिप्त विवरणः–

01.मकान 01 कीमत लगभग 18 लाख 70,000 रू0

02.टी0वी0एस0 स्कूटी जूपीटर कीमत लगभग 39000रू0